

प्रमाण-पत्र

जनप्रद मुरादाबाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद - काशीपुर मार्ग (एन एच् - 734) के किमी 389.00 (प्रस्तावित किमी 0.00 से 39.750 तक (प्रस्तावित किमी चैनेज सं. 39.750) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 63.5796 हे संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 11277 वृक्षों व 32859 पौधों, कुल 44136 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं-FP/UP/ROAD/150633/2021)

"प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रेषित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्ण संतुष्ट है कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है तथा समस्त वांछित अभिलेख / सूचनायें संलग्न हैं। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

प्रभाषीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highway Authority of India
मुरादाबाद / Moradabad